20.04.18 आज इस अपील मे प्रस्तुत पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर एवं इस अपील मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23/5/2017 निरस्त होने पर अपील पुन: निस्तारण हेतु नम्बर पर ली गई। दौराने बहस पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र अपील के संदर्भ मे भी आवेदक के पक्षकारान द्वारा बहस की जा चुकी है।

दौराने अपील अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी के तहत कुछ दस्तावेजात के साथ प्रस्तुत किया गया था, जिन पर विवेचन के अभाव मे इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23/5/2017 को निरस्त किया गया है, जिसमे स्पष्ट है कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण होना शेष है। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत मलिकपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 20/8/2015 एवं ग्राम पंचायत मलिकपुर द्वारा जारी वारिसनामा दिनांक 20/8/15 का सत्यापन होना आवश्यक है तत्पश्चात ही उनको प्रकरण के निस्तारण के संदर्भ में डिक्री पर लिये जाने का आदेश पारित किया जा सकता है। अत: प्रार्थी/

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल पार्वना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सि.प्र.सं. अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया जाना आवश्यक समझा जाता है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11/9/2013 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे प्रस्तुत हस्तावेजात के संदर्भ में प्रकरण में पुनः साक्ष्य, सबूत लेकर प्रकरण का पुनः गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करे।

पत्रावली फैसल शुमार हो एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पार्वना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित हस्तावेजात नियम की एक प्रति के साथ लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.04.18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर